

राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
(दिनांक 2/5/23)

राजस्व प्रकरण प्रार्थना पत्र सं. - 49/2023

GCMS NO. _____

किस्म मुकदमा :- 136 LR Act.

उनवान :- वज्रशाला बनाम राज0 सरकार

-:आदेश:-

दिनांक : 2/5/23

प्रार्थी के "नाम दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रार्थी प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं रिपोर्ट तहसीलदार बुहाना व पटवारी हल्का धूलवा के आधार पर, राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	मनोहरपुरा	9	केशवदेव पुत्र मोहरीलाल निशाना देवीपत्नी मोहरीलाल गजानराम पुत्र मोहरीलाल वज्रशाला पुत्र -11-	श्रीमान मनोहरपुरा प.म. धूलवा के जमावेंदी सूम्बत 2015-18 खाता सं. 9 में मोहरीलाल के वारिसको मोहरीलाल पुत्रा उचित है स्व खाता सं. 25 में
2	धूलवा	25	राजेश्वरकाद पुत्र -11- शिवानलाल पुत्र -11- विजय कुमार पुत्र सतोष पुत्री मोहरीलाल शक्तिनी पुत्री -11-	



(सुनील कुमार चौहान)
एवंअसेवक सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनू, राजस्थान

दिनांक :- 2/5/23

क्रमांक :- राजस्व/2023/08

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बुहाना को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर सात दिवस में पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. संबंधित श्री वज्रशाला पुत्र मोहरीलाल को सूचनार्थ।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

